

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

पुखराज बनाम अमीर सिंह
 मु.नं. 20/ वर्ष 2025
 किस्म मुकदमा दावा (53,188)

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	<p>8/1/25 को नारायण के पास के फर्माग की जानकारी के लिये 3 फर्माग (की) एका के मिलान नारायण यहाँ किन भी पत्रावली कि 80 धारा 181/1/25 को चेक की</p> <p style="text-align: center;">✓</p>
18/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकाल उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त। यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व भाटेजानसार दिनांक 23/1/25 को पेश हो</p>
23/1/25	<p>पत्रावली के डई। वकील कादी उपस्थित तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के फाइल नं. 25/4252 डिकें 22-12-25 के डिकें फिलान प्रस्ताव मय गजरी नकसा रिपोर्ट प्रस्तुत जो शा.प.रेंडर उभय का नकल के वकील कादी ने इक्तानुसार पास को डिकें किने जाने सहकति नकल की बहल उपस्थित सुनी गई। समत पत्रावली का नकल के किना बहल पर मनन किना कला की का पास लक्ष्मी के नकल तहसीलदार सीकर ग्रामीण के फिलान प्रस्ताव रिपोर्ट के फाइल पर नारी का नकल डिकें किना जाता है किने व डिकें डिकें पे (पत्रावली) नारायण पत्रावली किना नारायण किने डिकें डिकें वादे नकली डिकें डिकें</p> <p style="text-align: center;">✓</p>

श्रीमान्,
 बंधु
 प्रस्ताव
 मनुष्य
 FID की
 जानेंगे
 आपकी
 नहीं
 वीरेश्वरी



उपखण्ड अधिकारी
 धौद जिला-सीकर

